



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 11.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैन स्नेचिंग व टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी का माल तथा 34 हजार रुपए बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.03.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैन स्नेचिंग व टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गौरतलब है कि दिनांक 26.02.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के पल्हरी निवासी सोमदत्त द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 11.02.2026 को 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी पत्नी के गले से मंगलसूत्र छीन लिया गया। इसी प्रकार दिनांक 09.03.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की निवासी हासिना द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 08.03.2026 को 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके गले से मंगलसूत्र छीनकर बाइक से फरार हो गए। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 04 अभियुक्तों को आरटीओ चौराहा, जनपद बांदा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चोरी/टप्पेबाजी/चैन स्नेचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि इनके गिरोह में और कितने लोग सम्मिलित हैं तथा इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जा रही है। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी का माल तथा 34 हजार रुपए बरामद।

बरामदगी-

- 01 टंच माल 4.150 ग्राम (पीली धातु)
- 01 लॉकेट (पीली धातु)
- 03 गुरिया (पीली धातु)
- 34 हजार रुपए (चोरी के)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रेहान पुत्र आबिद निवासी अतर्रा चुंगी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. विपिन पुत्र लखनलाल निवासी मर्दन नाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. जैद पुत्र नसीब निवासी खुटला रोहणिया मस्जिद थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. मौ0 सैफ पुत्र मौ0 नसरत निवासी मुचियाना थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 128/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
- बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस तथा 9(1)ए(1)/25(2) आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 84/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
- बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री बलराम सिंह
2. उ0नि0 श्री दिलीप कुमार
3. उ0नि0 श्री यज्ञनारायण भार्गव
4. उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार
5. कां0 सौरभ यादव, कां0 प्रशांत कुमार, कां0 दीपक कुमार, कां0 कार्तिक राजपूत